

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

क्रमांक/अकादमिक/अ०म०/२०२१/१०४६

रीवा, दिनांक ५.९.२१


अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा २८ के अन्तर्गत जीवनविज्ञान संकाय अन्तर्गत वनस्पतिशास्त्र के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा २८(४) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी -

वनस्पतिशास्त्र अध्ययन मण्डल


अधिनियम	२८(२) एक	१.	रिक्त
	२८(२) दो	१.	डॉ० अर्पिता अवस्थी, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र, शास० टी०आर०एस० महाविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
		२.	डॉ० संजीव दुबे, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र, शास० आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
	२८(२) तीन	१.	रिक्त
	२८(२) चार	१.	डॉ० मनोज कुमार कुजूर सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र, शास० नेहरू महाविद्यालय दुडार, शहडोल (म०प्र०)
		२.	डॉ० के०के० अग्निहोत्री, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर महाविद्यालय, जवा, रीवा (म०प्र०)
	२८(२) पाँच	१.	डॉ० ए०पी० सिंह, प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र, शास० कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीधी (म०प्र०)
		२.	डॉ० रश्मि सिंह, प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र, शास० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म०प्र०)

अधिनियम २८(३) के अन्तर्गत डॉ० अर्पिता अवस्थी को वनस्पतिशास्त्र अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।


५.९.२१
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

१. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म०प्र०)
२. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म०प्र०)
३. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
४. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
५. संकायाध्यक्ष, जीवनविज्ञान संकाय।
६. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
७. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म०प्र०)
८. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक


सहायक कुलसचिव (अकादमिक)